फर्द अहकाम

~~प्रवर्तमान~~ बनाम मोती लाल पटेल

नाम न्यायालय

केस संख्या 31/2019 प्रा. पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	17/7/21	प्रसाइ [illegible] ऑफीसर दौर/अवकाश पर [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दिन. 13/9/21 को पेश हो	
	13/9/21	प्रसाइ [illegible] ऑफीसर दौर/अवकाश पर [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दि. 30/12/21 को पेश हो	
	30/12/21	प्रसाइ [illegible] ऑफीसर दौर/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दि. 3/2/22 को पेश हो	
	3/2/22	प्रसाइ [illegible] ऑफीसर दौर/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 1/4/22 को पेश हो	
	1/4/22	प्रसाइ [illegible] ऑफीसर दौर/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/5/22 को पेश हो	
	19/5/22	प. प्रार्थी उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी की संलग्न अवधि सूची बिंदु प्रार्थी का अवलोकन किया गया / प्रार्थी का प्रा. पत्र बाबत पत्थरगढ़ी को स्वीकार [illegible] हेतु [illegible] पृथक से [illegible] आधार आवेदन पत्र / [illegible] आधार होकर उप [illegible] का नतीजा दाखिल [illegible] है। 88e उपखंड अधिकारी [illegible] जबपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 31/2019

उनवान

1. श्रवण लाल पुत्र श्री भींवा राम, जाति–जाट, निवासी–प्लाट न. 30, सैन्ट्रल कालोनी–द्वितीय, रोड न 8 वीकेआईए, सीकर रोड, जयपुर।
2. मखनी देवी पत्नी श्री लाल चन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. रजनी देवी पत्नी श्री सीताराम, जाति स्वामी, निवासी वृन्दावन कालोनी, खातीपुरा रोड झोटवाडा, जयपुर।
4. शकुन्तला पत्नी श्री सुनिल कुमार, जाति कुमावत, निवासी इन्कमटेक्स कालोनी ज्योतीनगर, जयपुर।
5. गजानन्द पुत्र श्री भैरू, जाति जाट,
6. गीता देवी पुत्री श्री गजानन्द, जाति जाट,
7. सीता देवी पुत्री श्री गजानन्द, जाति जाट,
8. महेश कुमार पुत्र श्री गजानन्द, जाति जाट,
9. रमेश कुमार पुत्र श्री गजानन्द, जाति जाट,
10. सुरेश कुमार पुत्र श्री गजानन्द, जाति जाट, निवासीयान सामोद रोड, कस्बा चौमूं जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगी लाल पुत्र श्री घींसा,
2. प्रभूदयाल पुत्र श्री मांगी लाल,
3. बाबू लाल पुत्र श्री मांगी लाल,
   समस्त जाति जाट, निवासीयान–सामोद रोड, बाईपास पुलिया के पास, चौमूं तहसील चौमूं।
4. तहसीलदार चौमू, जिला–जयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश–जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, भू राजस्व अधिनियम, बाबत परिवादी के खातेदारी काश्त की जमीन राजस्व ग्राम चौमूं, पटवार हल्का चौमूं–बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, ख0न0 3412/1, ख0न0 3412/3, ख0न0 3413/2, का सीमाविवाद का पत्थर गढी कराने बाबत।

निर्णय दिनांक–19.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम चौमूं पटवार हल्का चौमूं बी, इन्सपेक्टर लैण्ड रिकार्ड हल्का–चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज०) मे ख0न0 3412/1 रकबा 0.14 है0, ख0न0 3412/3 रकबा 0.19 है0, ख0न0 3413/2 रकबा 0.03 है0 कुल किता 3 [illegible] 36 [illegible] भूमि स्थित है।

राजस्व अभिलेख मे उपरोक्त आराजी की खातेदारी [illegible] नाम अंकित व राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है, प्रार्थी की कब्जे काश्त [illegible] कुल रकबा 0.36 है0, स्थित है तथा ख.न. 3380/2, 3381, 3414, 3415 [illegible] खातेदार प्रार्थी की भूमि कई दिनो से सीमा का विवाद चला आ रहा है, इसलिये उक्त भूमि का दिनांक 19.05.2018 को श्रीमान तहसीलदार चौमूं के आदेश कमांक/भू[illegible]18/1817 दिनांक 07.05.2018 के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। तथा उक्त काश्तगार व खातेदार प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिस पर हमारे द्वारा चारो तरफ की तारो की बाड़ करके खेती की जाती है।

हमारी खातेदारी कृषि भूमि से लगती हुई अन्य उपरोक्त वर्णित अप्रार्थीगण खातेदारो की भूमि पडती है, व अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण खातेदारो को आये दिन परेशान करते रहते है तथा हमारे से इर्ष्या रखते है तथा आये दिन हमे परेशान करते रहते है तथा सीव व डोल को तोड कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

हमारी खातेदारी भूमि को अप्रार्थीगण पडौसी खातेदार; अपनी भूमि मे छडिया लगाकर मिलाने की कोशिश करते है तथा अवैघ राशि की मांग करते रहते है तथा आये दिन परेशान करते रहते है।

हमारी जमीन के चारो तरफ के अन्य खातेदारो के द्वारा मेरी खातेदारी की भूमि पर आये, ओर धमकी दी कि तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके रहेगे तथा तुम्हारे को यहाँ पर रहने नही देगे, तुम्हारी उक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर कब्जा कर लेगें और तुम्हारे खेत के चारो तरफ उक्त तारो की बाड़ को उखाड कर हम हमारी भूमि की जमीन मे मिला कर रहेगे तथा तुम्हारी तारो की बाड़ को हटा देगें ओर तुम्हारे को झुठे फौजदारी मुकदमों में फंसा देगें तथा धमकी दी कि हमारी पहुंच बहुत उची है तथा उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लेगे तुम्हारे को यहॉ पर किसी भी सुरत मे रहने नही देगे, जिससे आये दिन ये लोग तथा पडोसी खातेदार हमारी जमीन को चारो सीमाओ को दबाते रहते तथा हमे परेशान भी करते रहते है जबकि हमने हमारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार व पटवारी चौमूं द्वारा करवा लिया है, जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण उक्त सीमा कायम रखने में आनाकानी करते है व अनावश्यक छडिया व तार लगाकर प्रार्थीगण से आये दिन लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है और परेशान व हैरान रखते है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की जमीन कृषि भूमि राजस्व ग्राम चौमूं, पटवार हल्का चौमूं–बी, इन्सपेक्टर लैण्ड रिकार्ड हल्का–चौमूं तहसील चौमूं एवं जिला जयपुर (राज0) मे निम्नलिखित कृषि भूमि स्थित है जिसके ख0न0 3412/1 रकबा 0.14 हैक्टयेर ख0न0 3412/3 रकबा 0.19 हैक्टयेर, ख0न0 3413/2 रकबा 0.03 हैक्टयेर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 भूमि स्थित है, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उपरोक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पुख्ता पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान फरमावे जावे। तथा पुख्ता पत्थरगढी होने तक पडोसी खातेदारो की सीमाओ पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा उक्त लगती हुई सीमाओ के खसरा नम्बरान की भूमियो पर किसी प्रकार का निमार्ण कार्य नही करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता प्रार्थीगण की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 19.05.2018 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन/विवाद नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 19.05.2018 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **19.05.2021** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:03 IST
Reason: SelfAttested

सीमा खेतान
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)